भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1543

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अस्वास्थ्यकर बोतलबंद पेयजल

1543. श्री अनुराग शर्मा:
श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्वास्थ्यकर बोतलबंद पेयजल के खतरे को रोकने और भू-जल में कमी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;
(ग) स्वच्छ पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारों के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची क्या है और उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितना व्यय किया गया है;
(घ) देश में स्वच्छ पेयजल की वर्तमान प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या यह सच है कि स्वच्छ पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्तरों से काफी कम है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने यह सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के विनियम 2.3.14 (17) और (18) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न को छोड़कर क्रमश: पैक किए गए पेयजल और खनिज जल का विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। अनुपालन की जांच करने के लिए खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मानीटरिंग, निरीक्षण करके औचक नमूने लिए जा रहे हैं और अनुपालन न होने के मामलों में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता खाद्य व्यापार प्रचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल निकासी के लिए नई पैकेज्ड पेयजल इकाइयों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूए, भूजल पुनर्भरण के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ अर्ध-महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और सुरक्षित क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को भूजल निष्कर्षण की अनुमति देता है।

(ग): वर्ष 2024 तक देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पेयजल सुविधा में समर्थ बनाने के लिए, भारत सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया है। 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में (12.12.2022 तक) जल जीवन मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और निधि उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 05.12.2022 तक, देश में 16.97 लाख ग्रामीण बसावटों में से 13.07 लाख [77%] में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) से अधिक और 3.64 लाख ग्रामीण बसावटों में 40 एलपीसीडी से कम पीने योग्य पेयजल उपलब्ध है। इसके अलावा, 0.26 लाख [1.5%] ग्रामीण बसावटों में पेयजल स्रोतों में जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पाई गईं हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल की आपूर्ति की सुविधा में समर्थ बनाने के लिए, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अब तक, पिछले 3 वर्षों में लगभग 7.48 करोड़ (38%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 12.12.2022 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 10.71 करोड़ (55%) परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना दी गई है।

(ङ) और (च): विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पीने, खाना पकाने, व्यक्तिगत साफ-सफाई, कपड़े धोने और घर की सफाई के लिए स्वच्छ जल की प्रति व्यक्ति आवश्यकता 30-50 एलपीसीडी तक है। जेजेएम के अंतर्गत, न्यूनतम सेवा प्रदायगी 55 एलपीसीडी निर्धारित की गई है और राज्य, पेयजल स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर इसे उच्च स्तर तक बढ़ा सकते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जल जीवन मिशन: वर्ष 2019-20 में आवंटित, आहरित केंद्रीय निधि और सूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
7.	गोवा	0.00	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0.00	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	382.97	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0.00	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0.00	56.49	56.49	56.49	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	27.02	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	119.43	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	195.90	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.10
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2020-21 में आवंटित, आहरित केंद्रीय निधि और सूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
7.	गोवा	0.00	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.20	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.48	188.30	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22.	ओडिशा	90.50	812.15	609.11	699.61	688.69	673.00
23.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.38	0.20	1.00
24.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	116.32	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	256.52	195.00	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.94	1,295.47	2,227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल		1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2021-22 में आवंटित, आहरित केंद्रीय निधि और सूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.05	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	791.06	937.71	234.76	235.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	1,555.53	1,565.51	1,113.37	106.62
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.44	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	340.45
6.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
7.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	559.98	592.22	434.77	284.19
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	2,012.78	2,239.20	1,421.04	146.73
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12.	झारखंड	124.83	2,479.88	512.22	637.05	437.21	510.99
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	2,504.40	2,681.56	1,418.68	1,557.92
14.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	124.26	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	381.40	477.98
18.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	2,492.56	2,503.49	1,306.20	1,289.72
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.66	2.32	0.10
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	175.81
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.23	1,664.02
26.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	991.83	460.01	496.23
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	5,435.25	5,901.81	2,930.07	3,525.40
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	603.41	67.40
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस　　एनडी: आहरित नहीं　　एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2022-23 में आवंटित, आहरित केंद्रीय निधि और सूचित उपयोग
(12.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.53	9.15	एनडी	1.53	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	702.95	3,458.20	एनडी	702.95	300.88	92.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	451.21	1,116.35	279.09	730.30	497.81	63.81
4.	असम	1,819.21	6,117.61	1,529.40	3,348.61	2,219.78	236.08
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	54.95	एनआर	27.93
6.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	1,111.99	1,259.05	816.80	808.28
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	11.84
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	1,795.08	2,378.47	1,993.31	2,099.47
9.	हरियाणा	157.47	1,157.44	115.75	273.22	233.06	256.59
10.	हिमाचल प्रदेश	818.27	1,344.94	672.47	1,490.74	1,114.53	113.09
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	एनडी	605.71	306.70	33.17
12.	झारखंड	199.83	2,825.52	706.38	906.21	588.90	687.44
13.	कर्नाटक	1,263.00	5,451.85	1,362.96	2,625.96	997.29	1,071.59
14.	केरल	436.08	2,206.54	1,103.27	1,539.35	844.35	841.93
15.	लद्दाख	0.00	36.99	एनडी	0.00	एनआर	एनआर
16.	लक्षद्वीप	282.94	1,555.77	एनडी	282.94	170.48	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	1,410.25	3,176.67	1,830.61	1,825.89
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	एनडी	1,557.65	804.27	828.44
19.	मणिपुर	142.03	512.05	128.01	270.04	182.49	21.01
20.	मेघालय	420.52	747.76	373.88	794.40	676.46	76.00
21.	मिजोरम	80.08	333.91	166.96	247.04	181.56	24.55
22.	नागालैंड	17.00	484.28	363.21	380.21	259.13	39.26
23.	ओडिशा	1,197.29	3,608.62	866.57	2,063.86	937.20	917.09
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.15	0.06
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	184.66	94.28
26.	राजस्थान	1,288.46	13,328.60	2,749.65	4,038.11	2,511.34	1,334.95
27.	सिक्किम	112.90	136.17	34.04	146.94	118.27	11.24
28.	तमिलनाडु	534.29	4,015.00	एनडी	534.29	213.84	269.43
29.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	37.44	11.38	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	333.48	509.26	476.04	50.86
31.	उत्तर प्रदेश	2,971.74	12,662.05	6,331.02	9,302.76	5,398.84	4,589.56
32.	उत्तराखंड	596.09	1,612.50	304.62	900.71	652.28	72.02
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	1,036.47	1,651.14	956.32	1,369.35

स्रोत - जेजेएम :आईएमआईएस एनडीआहरित नहीं : एनआर: सूचित नहीं

अनुबंध-II

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

ग्रामीण बसावटों के कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(05.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	40 एलपीसीडी या उससे अधिक पेयजल प्रदान की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या	40 एलपीसीडी से कम पेयजल प्रदान की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या	ग्रामीण बसावटों की संख्या जिनके जल स्रोतों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	229	37	0
2.	आंध्र प्रदेश	35,988	12,505	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,459	4,681	149
4.	असम	48,225	29,671	10,039
5.	बिहार	1,04,917	949	449
6.	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	121	0
7.	छत्तीसगढ़	60,396	14,648	193
8.	गोवा	378	0	0
9.	गुजरात	35,992	0	0
10.	हरियाणा	7,163	131	0
11.	हिमाचल प्रदेश	38,712	16,296	0
12.	जम्मू एवं कश्मीर	7,803	8,368	0
13.	झारखंड	1,17,071	7,216	59
14.	कर्नाटक	22,860	34,940	0
15.	केरल	9,408	6,466	92
16.	लद्दाख	415	996	0
17.	लक्षद्वीप	0	0	10
18.	मध्य प्रदेश	1,12,462	15,067	4
19.	महाराष्ट्र	53,775	46,477	42
20.	मणिपुर	1,988	988	0
21.	मेघालय	2,547	7,210	0
22.	मिजोरम	316	426	0
23.	नागालैंड	570	929	0
24.	ओडिशा	1,52,949	2,460	2,043
25.	पुदुचेरी	292	0	0
26.	पंजाब	11,949	2,383	837
27.	राजस्थान	53,424	58,132	10,423
28.	सिक्किम	1,035	1,224	0
29.	तमिलनाडु	57,639	21,757	0
30.	तेलंगाना	23,986	4	0
31.	त्रिपुरा	5,500	2,554	656
32.	उत्तर प्रदेश	2,51,561	7,819	515
33.	उत्तराखंड	19,507	19,212	3
34.	पश्चिम बंगाल	64,810	40,459	198
कुल		**13,07,326**	**3,64,126**	**25,712**
%		**77.00**	**21.50**	**1.50**

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस